

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह,  
जामडोली, जयपुर

प्रस्तावना:—राज्य मे मानसिक विमन्दित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1983 मे की गई। यह राज्य सरकार का एक मात्र गृह है, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा नियमित अधिकारी कर्मचारियों एवं संवेदकों की देखरेख मे किया जा रहा है।

इस गृह में मानसिक मंदबुद्धि बालक/बालिकाओं का प्रवेश बाल कल्याण समिति व न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। संस्था मे आवासित बालक/बालिकाओं को आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य व्यय, चिकित्सा एवं दवाईयां, शिक्षा आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान मे बालक विंग 121 एवं महिला विंग 169 आवासी निवास कर रहे है। आवासी जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है।

<u>बालक</u>		<u>महिलाएँ</u>
संख्या—	121	संख्या— 169
border line	00	01
mild-	20	21
moderate-	58	69
severe-	25	41
profound-	18	37

क्र.सं.	सुविधायें	वर्तमान की स्थिति
1	कूलर	130
2	एसी	6 (3 महिला विंग व 3 बालक विंग में)
3	वाटर प्यूरीफायर (आर ओ)	7 (1 प्रोफाउण्ड बालिकाओं के विंग में, 1 रसोई में व 3 बालक विंग में), 2 स्कूल व प्रशिक्षण केन्द्र में)
4	वाटर कूलर	6
5	टीवी / led मय DTH	4 (2 बालक विंग व 2 महिला विंग में)
6	मोटर पम्प	2 (बोरिंग में लगे हुए हैं)
7	इनवर्टर	2 (1 महिला विंग व 1 बालक विंग में)
8	अग्निशमन यंत्र	4 (चारों विंग में) + 1 रसोई घर में
9	सी.सी. टी.वी.	6 (2 रसोई में, 1 धुलाई क्षेत्र में, 1 कार्यालय क्षेत्र में, 1 लोन में व 1 मेन गेट के बाहर )
10	रेफ्रिजरेटर	3 (2 महिला विंग, 1 बालक विंग में)
11	कम्प्यूटर	2
12	जनरेटर	1 (परिसर में लगा हुआ है)
13	बैड़	200
14	कॉमर्शियल वाशिंग मशीन	1 बड़ी, 2 घरेलु छोटी
15	गीजर	7
16	दरी फर्श	16
17	टेबल लकड़ी मय कुर्सी	38
18	लोहे की कुर्सियां मय डेस्क	20
19	टेबल बड़ी लकड़ी	10
20	कुर्सियां लकड़ी	20
21	लोहे की टेबल लकड़ी के टोप	20
22	कुर्सियां लोहे की सीट लकड़ी	20
23	प्लास्टिक की राउण्ड टेबल छोटी	2
24	प्लास्टिक की छोटी कुर्सियां	10
25	प्लास्टिक प्ले टनल	1
26	शॉफ्ट बोर्ड	10
27	डायनिंग टेबल प्लास्टिक	50
28	डायनिंग कुर्सियां प्लास्टिक	200
29	ग्रीन बोर्ड	7
30	मेडिकल बैड़ व गद्दे	60
31	एयर बैड़	10
32	वाटर बैड़	10
33	हीटर	36
34	ड्रेसिंग ड्रम	8
35	ओटोक्लेब सिगलड्रम	4
36	आक्सीजन सिलेण्डर	4

37	ऑक्सीजन मास्क एडल्ट	4
38	ऑक्सीजन फ्लोमीटर	4
39	आई.वी. स्टेण्ड	16
40	फुटस्टेप	4
41	किस्पाईनर	4
42	स्वीपर नीडिल	4
43	थ्रेड सर्जिकल	4
44	वेजाइनल स्पेकुलम	2
45	सिम्पन वेजाइनल स्पेकुलम	2
46	स्पंज होल्डर फोरसेप	4
47	आट्री फोरसेप	4
48	ड्रेसिर सिजर	4
49	सेलिप टीश्यु फोरसेप	4
50	पेशेन्ट व्हील स्टुल	4
51	मेडिकल काउच	1

सत्र 2017-18 से विशेष अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र एवं राजकीय विशेष विद्यालय विशेष योग्यजनों हेतु संचालित किया गया है।

✓

विमंदित बालक एवं बालिकाओं को दिये जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण

(आवास)— बालको के आवास हेतु 20 कमरे तथा खुला चौक एवं खुला स्थान है तथा 11 शौचालय एवं 11 स्नान गृह है। जो कि वर्तमान में रह रहे बालको के लिये पर्याप्त है। पृथक विंग में महिला आवासियों हेतु 20 कमरे है तथा सिवियर, प्रोफाउण्ड श्रेणी की बालिकाओं हेतु पृथक से भवन संचालित है।

महिलाओं के आवास हेतु 12 बड़े हॉल तथा खुला चौक एवं खुला स्थान है तथा 11 शौचालय एवं 11 स्नान गृह है। जो कि वर्तमान में रह रही महिलाओं के लिये पर्याप्त है।

(वस्त्र)— 1.प्रति बालक /बालिकाओं को प्रति वर्ष 10 पोशाक (प्रति पोशाक की मूल्य अधिकत 500/- एवं प्रति बालक प्रति वर्ष 2 ऊनी जर्सी देय है।

(भोजन एवं अन्य व्यय) —विभाग द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार दिया जाता है जो (संलग्न है )

(चिकित्सा एवं दवाईया)— संस्था में बालकों के स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं मानोचिकित्सक एव 18 ए.एन. एम.(नर्सिंग स्टाफ) तथा 18 जी.एन.एम. के पद सृजित है। जिसमें मनोचिकित्सक का पद कार्यव्यवस्थार्थ है। जो कि इन की स्वास्थ्य की देख रेख करता है एवं आवश्यकता अनुसार आवासी बालक /बालिकायें बीमार होने पर संस्था के चिकित्सक द्वारा राय के अनुसार शहर के सेटेलाईट, जे.के.लोन. एस.एम.एस., टी.बी. सेनिटोरियम आदि चिकित्सालयों में दिखाकर सेवायें ली जाती है। चिकित्सा विभाग द्वारा इन बालकों को बी.पी.एल. श्रेणी के समक्ष मानकर अधिकतर दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है तथा कुछ दवाईयां निविदा के माध्यम से क्रय की जाती है।

(शिक्षा)— विभाग द्वारा इन मानसिक विकलांग बालक/बालिकाओं की विशेष शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था की गयी है। इन की शिक्षा हेतु 12 विशेष शिक्षक एवं स्पीच थेरेपिस्ट-1, क्लिनिकल साइकलोजिस्ट-2, एवं बालक



✓  
/ बालिकाओं की विभिन्न विकलांगता एवं व्यायाम हेतु ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट  
-1, जो बालक/बालिकाओं की शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।

मानसिक विमंदित बालक/बालिकाओं को शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1. बालक / बालिकाओं को निर्धारित समयानुसार प्रार्थना करवाई जाती है।
2. बालक / बालिकाओं को योग एवं व्यायाम करवाया जाता है।
3. बुद्धिलब्धि के अनुसार कक्षाएँ जैसे केयर ग्रुप, फक्शनल ग्रुप, प्री-प्राइमरी ग्रुप, सैकण्ड्री ग्रुप, प्री-वोकेशनल एवं वॉकेशनल ग्रुप आदि।
4. आवासी बालक/ बालिकाओं का असेसमेन्ट करके उनसे संबंधित Target लेकर शिक्षण प्रशिक्षण प्रत्येक कक्षा में विशेष शिक्षक द्वारा करवाया जाता है।
5. को केरीकुलर एक्टिविटी करवाया जाना जैसे संगीत, इण्डोर व आउट डोर खेल खिलायें जाते हैं।
6. स्पीच प्रोबलम वाले बालक/ बालिकाओं को स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा स्पीच थेरेपी दी जाती है।
7. व्यवहारिक समस्यात्मक व्यवहार वाले बालक/ बालिकाओं को समस्यात्मक व्यवहार परिर्माणन किया जाता है।
8. ऑक्युपेशनल थेरेपी एवं फिजीयों थेरेपी बालक/बालिकाओं को प्रदान करवाई जाती है।
9. वॉकेशनल में बालक/बालिकाओं को क्रियात्मकता एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु वॉकेशनल दक्षता हेतु विशेष शिक्षको द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
10. संस्था में आवासी बालक/ बालिकाओं को तीन माह में एक बार भ्रमण हेतु बाहर ले जाया जाता है।